:: कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन ::

क्रमांक 2960 /वाचक–1/2019 खरगोन, दिनांक 22/07/2019

प्रति,

आयुक्त महोदय
जनसंपर्क विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– जल ससांधन विभाग संभाग खरगोन द्वारा लघु नहर योजना के लघु क्रमांक 05 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने से आपसी सहमति से क्रय किये जाने वाले मकानों के क्रय के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन बाबद।

––––000––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत जल ससांधन विभाग संभाग खरगोन द्वारा लघु नहर योजना के लघु क्रमांक 02 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने से आपसी सहमति से ग्राम धुलकोट तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन की भूमि पटवारी हल्का नंबर 06 ग्राम नयाबिलवा कुल क्षेत्रफल 0.096 हे0 क्रय किये जाने के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक 176 /भू–अर्जन/2019 दिनांक 17/07/2019 दो प्रति में पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

कृपया आपसी सहमति से मकानों का क्रय नीति के तहत जारी सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कृपया राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में किये जाने का कष्ट करें। साथ ही प्रकाशित सार्वजनिक सूचना संबंधि समाचार पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सूचना।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) खरगोन

क्रमांक 2961 /वाचक–1/2019 खरगोन, दिनांक 22/07/2019

प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 खरगोन की ओर प्रेषित। कृपाया पत्र के संलग्न प्रेषित सार्वजनिका सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग खरगोन की ओर प्रेषित। कृपया संलग्न प्रेषित सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन एक स्थानीय समाचार पत्र में किया जाकर संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. तहसीलदार भगवानपुरा की ओर सार्वजनकि सूचना की 05 प्रति भेजकर लेख है कि सार्वजनिक सूचना कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपखण्ड कार्यालय नोटिस बोर्ड पर तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर एवं ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर तामिली रिर्पोट अविलंब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. अनुविभागीय अधिकारी जल ससांधन विभाग खरगोन की ओर लेख है कि इस सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाश कराना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) खरगोन

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन, म0प्र0

क्रमांक/ 176 /भू–अर्जन/19 खरगोन, दिनांक 17/07/2019

सार्वजनिक सूचना

(म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

चूँकि म.प्र. शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग की **''खारक तालाब की लघु नहर योजना के लघु कमांक–5 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण भमि क्रय करने हेतु''** निम्न विवरण में वर्णित भूमि की आवश्यकता है तथा विवरण में उल्लेखित भूमिस्वामी/भूमिस्वामियेां द्वारा नीति की कंडिका–10 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप ख में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दीं गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका–11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न हीं उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा–

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला–खरगोन, तहसील–भगवानपुरा, प.ह.नं.– 06, ग्राम– नयाबिलवा, कुल रकबा 0.096 हे0

क.	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टर में			अन्य संपत्ति
				सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फुलबाई बेवा अशोक उर्फ आसीराम,सानु पिता अशोक उर्फ आसीराम,ना.बा.डिन्की,विजय पिता अशोक बारेला, नि.ग्राम नयाबिलवा	432/1	0.744	0.028	–	0.028	–
2	डेबा उर्फ ढेमला पिता अमरसिंग बारेला, निवासी नयाबिलवा	432/2	0.944	0.020	–	0.020	–
3	सीताराम पिता अमरसिंग बारेला,नि.नयाबिलवा	432/4	0.744	0.020	–	0.020	–
4	गुलीबाई बेवा अमरसिंग बारेला, नि. नयाबिलवा	432/5	0.944	0.028	–	0.028	–
	योग:–	–	3.376	0.096	–	0.096	–

नोट:–भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/7/19
(गोपाल चन्द्र डाड)
कलेक्टर,
जिला खरगोन, म.प्र.